



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37(71)परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था-पद/14/2022/2197

जयपुर दिनांक
23/8/2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद- चित्तौडगढ़,
नागौर, जयपुर, कोटा।

विषय:- कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके अधीन पंचायत समितियों/जिला परिषदों में कार्यरत निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण निर्देशित स्थान पर कर अवगत करावें।

क्र. सं.	नाम	पद	कहां से	कहां को
1	भरतसिंह राठौड	ग्राम विकास अधिकारी	ग्रा. प. सावा, पं.स. चित्तौडगढ़, जिला चित्तौडगढ़	पं.स. भैसरोडगढ़ जिला चित्तौडगढ़
2	छोटेराल मीना	ग्राम विकास अधिकारी	ग्राप बडू परबतसर, नागौर	ग्राप भादवा
3	राजेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	पं.सं सांभरलेक, जयपुर से जिला परिषद, जयपुर स्थानान्तरणधीन	पंस सांभरलेक, जयपुर
4	सुनीता मीना	कनिष्ठ सहायक	ग्राम पं. खेडा, रसूलपुर, पं.स. लाडपुरा, कोटा	पं.स. लोडपुरा, कोटा

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानांतरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानांतरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानांतरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
5. यदि कोई कार्मिक निलंबित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।

(डॉ. शैलक बैरागी)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(I)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

10. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
11. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्राविपंरावि जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
14. निजी सचिव, निदेशक महोदय, पंचायती राज विभाग जयपुर।
15. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सम्बन्धित।
16. सम्बन्धित कार्मिक को पालनार्थ।
- ✓ 17. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-1